सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-3739/JH/283/2026-RU-IV दिनांक : 16.06.2026

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला-साहेबगंज,
उपायुक्त कार्यालय, कलेक्टरियेट बिल्डिंग,
साहेबगंज, झारखंड 816109
ई-मेल: dc-sah@nic.in

पुलिस अधीक्षक,
साहेबगंज,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,
साहेबगंज, झारखंड 816109
ई-मेल: sp-sahebganj@jhpolice.gov.in

विषय: **प्रार्थिनी के साथ गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार, छेड़खानी, जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग तथा जान से मारने की धमकी देने के लिए आरोपी/दोषी व्यक्ति के विरूद्ध ST-SC Act के अंतर्गत मामला दर्ज करने के संबंध में – श्रीमती अंजेला किस्कु, पति-श्री बड़ा मंडल मुर्मु, सो.+पोस्ट-भागनाडी, थाना-बरहेट जिला-साहेबगंज (झारखंड) का दिनांक निरंक का पत्र ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

16-6-26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव/ Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रतिलिपि सूचनार्थ-:
श्रीमती अंजेला किस्कु,
पति-श्री बड़ा मंडल मुर्मु,
सो.+पोस्ट-भागनाडी, थाना-बरहेट,
जिला-साहेबगंज (झारखंड) - 816102,
Mobile No: 7763076665

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-3739/JH/283/2026-RU-IV

अभ्यावेदिका श्रीमती अंजेला किस्कु, पति-श्री बड़ा मंडल मुर्मु, सो.+पोस्ट-भागनाडी, थाना-बरहेट, जिला-साहेबगंज (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन, प्रार्थिनी के साथ गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार, छेड़खानी, जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज करने के संबंध में, के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत ।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

अभ्यावेदिका श्रीमती अंजेला किस्कु, पति-श्री बड़ा मंडल मुर्मु, सो.+पोस्ट-भागनाडी, थाना-बरहेट, जिला-साहेबगंज (झारखंड) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि प्रखंड कार्यालय बरहेट में लिपिक के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मो. सलीमुद्दीन द्वारा उनके साथ गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार, छेड़खानी, जाति-सूचक शब्दों का प्रयोग तथा जान से मारने की धमकी दी गई। अभ्यावेदिका ने यह भी उल्लेख किया है कि वे झारखंड के अमर शहीद सिद्धो-कान्हू मुर्मु के वंशज परिवार से संबंधित हैं तथा उक्त घटना से उनकी सामाजिक गरिमा एवं सुरक्षा प्रभावित हुई है। अभ्यावेदिका ने आयोग से आरोपी/दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कठोर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 16.03.2026 को उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, जिला-साहेबगंज (झारखंड) को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अभ्यावेदक के अनुरोध तथा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को सिटिंग सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई।

3. सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक-815/सा०शा०, दिनांक-27.05.2026 के माध्यम से आयोग, नई दिल्ली को मामले का जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया । उक्त प्रतिवेदन में उल्लेख है कि आवेदिका श्रीमती अंजेला किस्कु के आवेदन के आधार पर अभियुक्त मो० सलीमुद्दीन, पिता-मो० लुकमान, साकिन-छोटा कदमा, थाना-बरहेट, जिला-साहेबगंज के विरुद्ध बरहेट थाना कांड संख्या-64/2026, दिनांक-24.05.2026 दर्ज किया गया है। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर शिकायतकर्ता का बयान लिया जा चुका है तथा मामले का अनुसंधान वर्तमान में प्रचलित है।

4. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वरा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

i. संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रकरण का अनुसंधान निष्पक्ष, समयबद्ध एवं विधिसम्मत रूप से पूर्ण किया जाए तथा जांच की अद्यतन स्थिति एवं की गई कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित किया जाए।

ii. जिला प्रशासन/संबंधित प्राधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1995 के अंतर्गत अभ्यावेदिका को देय अनुग्रह राहत/क्षतिपूर्ति (Compensation) की पात्रता एवं भुगतान की स्थिति का परीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएं।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi